

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
प्राचार्य, सभी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।
अधीक्षक, सभी ए0एन0एम0/एल0एच0भी स्कूल, बिहार।
अधीक्षक गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

पटना, दिनांक 15-05-2017

विषय- मांग संख्या-20 मुख्य शीर्ष 2211-परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए खोले गये नये उपशीर्ष की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2211-परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु खोले गये नये उपशीर्ष की सूचना उपलब्ध कराते हुए कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 2211-परिवार कल्याण के अधीन कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि मद में भुगतान हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा अलग-अलग बजट उपबंध करते हुए नये उपशीर्ष उपलब्ध कराये गये हैं जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम

क्रमांक	पूर्व वित्तीय वर्ष 2016-17 का विपत्र कोड	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 का विपत्र कोड	
		केन्द्रांश का विपत्र कोड	राज्यांश का विपत्र कोड
1	P-2211000010104	20-2211000010204	20-2211000010304
2	P-2211001010105	20-2211001010205	20-2211001010305
3	P-2211000030106	20-2211000030206	20-2211000030306
4	P-2211000040102	20-2211000040202	20-2211000040302
5	P-2211001020102	20-2211001020202	20-2211001020302


स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

क्रमांक	पूर्व वित्तीय वर्ष 2016-17 का विपत्र कोड	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 का विपत्र कोड
1	N-22110010100001	20-22110010100001
2	N-22110010300001	20-22110010300001

अतः अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यशीर्ष 2211, परिवार कल्याण के अधीन

कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि मद में भुगतान हेतु उक्त खोले गये नये उपशीर्ष में आवंटित राशि के आधार पर ही उपावंटन हेतु सभी समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन /


(सच्चिदानन्द चौधरी) 15/5/17
सरकार के विशेष सचिव।


ज्ञापांक- 01 (12)

/पटना दिनांक - 15-05-2017

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक /अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/प्रशाखा पदाधिकारी 12 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव ।